कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग, अजमेर

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग राजस्थान सरकार के ज्ञापन क्रमांक : F.14(88)FD/Rules/2008 तथा F.15(88)FD/Rules/2017 दिनांकः 27.02.2022 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के प्रावधानानुसार इस कार्यालय द्वारा वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक एवं वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष (सीधी भर्ती से नियुक्त), वरिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत कार्मिकों को स्थानीय कार्यालय के विभिन्न आदेशों द्वारा 18/27 वर्ष की सेवा अथवा नियमानुसार अर्हकार सेवा पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार स्वीकृत द्वितीय/तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (Assured Career Progression) के अन्तर्गत अनुमत ग्रेड पे/पे–लेवल में निम्नानुसार संशोधन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008

आश्वासित कैरियर प्रगति स्वीकृति तिथि	पद नाम	स्वीकृत आश्वासित कैरियर प्रगति	स्वीकृत ग्रेड पे	संशोधित स्वीकृत ग्रेड पे
01.07.2013 से सातवे वेतनमान में लिये गये विकल्प तिथि तक	वरिष्ठ सहायक (कनिष्ठ सहायक पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त)	द्वितीय	2800 (10A)	3600 (11)
		तृतीय	3600 (11)	4200 (12)

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017

आश्वासित कैरियर प्रगति स्वीकृति तिथि	पद नाम	स्वीकृत आश्वासित कैरियर प्रगति	पे मैट्रिक्स में स्वीकृत लेवल	पे मैट्रिक्स में संशोधित स्वीकृत लेवल
01.01.2016 से वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांकः 27.02.2022 के मध्य (दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए	वरिष्ठ अध्यापक/वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक/वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष (सीधी भर्ती से नियुक्त)	तृतीय	L-14	L-15
	वरिष्ठ सहायक (कनिष्ठ सहायक पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त)	द्वितीय	L-9	L-10
		तृतीय	L-10	L-11

नोटः–1. स्थानीय कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी द्वितीय एवं तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (Assured Career Progression) स्वीकृति आदेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी

2. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष उक्त आदेशों के तहत् अपने स्तर पर संशोधित वेतन निर्धारण करेंगे।

4. उक्त संशोधन आदेश कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग, अजमेर द्वारा जारी संबंधित एसीपी आदेश जो दिनांकः 30.10.2017 से 27.02.2022 के मध्यावधि में जारी हुये हैं, उन पर प्रभावी होगा।

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग, अजमेर

क्रमांकः संनि/स्कूलशिक्षा/अज/लेखा–1/2022/ ९९५ दिनांकः 16/3/2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ....
3. जिला शिक्षा अधिकारी मु. माध्यमिक/प्रारंभिक..............................
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी..............................
5. संबंधित कार्मिक./ कार्मिक/संबंधित
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
अजमेर संभाग, अजमेर